# उत्तराखण्ड शासन

## श्रम अनुभाग

### अधिसूचना

### प्रकीर्ण

18 जुलाई, 2023 ई0

संख्या 138/VIII-1/23-91 श्रम/2008—राज्यपाल, श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या—1256/VIII/18—91 (श्रम)/2008, दिनांक 28.11.2018 को अधिक्रमित करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से राज्य में कार्यरत समस्त कारखाना/कम्पनियों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में सांय 07:00 से प्रातः 06:00 बजे तक कार्य करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे कार्यस्थल अथवा संस्थान में ऐसे प्रबन्ध करें कि यौन उत्पीड़न के कृत्य अथवा घटना न होने पाये। ऐसी घटना हो जाने की स्थिति में तत्काल विधिक कार्यवाही एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही के सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें। यौन उत्पीड़न में अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर हो, जैसे कि— शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध, कामासक्त फब्तियां, अश्लील सहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण सम्मिलित है।

2. सभी नियोजक तथा कारखाना या कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्ति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठायेंगेः—

(i) नियोजक द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आचरण तथा अनुशासन विषयक नियम या विनियम, बनाये जायेंगे तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरूद्ध समुचित दण्ड की व्यवस्था के साथ कारखाने में वर्तमान लागू स्थाई आदेश में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

(ii) कारखाने में कार्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए उचित कार्य वातावरण की व्यवस्था की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित् हो सके कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए प्रदूषित वातावरण निर्मित नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिए यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके लिए नियोजन से संबंधित कोई अलाभकारी स्थिति है।

(iii) नियोजक, कारखाने में शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे। एक शिकायत—समिति गठित की जायेगी जिसमें विशेष सलाहकार तथा अन्य सहायक सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल होगी तथा गोपनीयता बनाए रखी जायेगी।

(iv) किसी अपराधिक घटना की स्थिति में नियोजक दण्डनीय कानून के प्रावधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित् करेंगे कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाहों का उत्पीड़न न हों तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव न किया जाय। यदि प्रभावित श्रमिक के अनुरोध पर उन्हें पाली स्थानान्तरण अथवा स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो आवश्यक व्यवस्था करेंगे, नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण की परिधि में आता हो।

(v) सभी शिकायत समितियों की अध्यक्ष महिला होगी तथा समिति में महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम न होगी। इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि अथवा ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जो यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी रखता हो।

(vi) महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा तथा ऐसे दिशा–निर्देशों को मुख्य रूप से अधिसूचित किया जायेगा।

(vii) जहां पर यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष द्वारा की जाए वहां पर नियोजक अथवा कारखाने के प्रभारी को घटना की रोकथाम के लिए समुचित सहयोग तथा सहायता दी जानी होगी।

3. नियोजक द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व कार्य वातावरण हेतु निम्नलिखित प्रबन्ध किये जायेंगे:–

(i) रात्रि पाली के दौरान प्रवेश (Entry) तथा निर्गम (Exit) स्थल पर महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। कारखाना प्रबन्धकों द्वारा कारखाने के अन्दर जहां पर महिला कर्मकार कार्य करेंगी, कारखाने के बाहर तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) नियोजक महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य स्थल पर लाने व उनके आवास पर वापस ले जाने के लिए सुरक्षा गार्ड सहित परिवहन की व्यवस्था करेगा, जिसके अन्तर्गत वाहन में कैमरे, जी0पी0एस0 व पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) की सुविधा अवश्य होनी चाहिए तथा वाहन पर महिला हैल्प लाईन नम्बर व अन्य आकस्मिक नम्बर लिखे होने चाहिए, अधिकृत वाहन का तथा उसके ड्राईवर का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से कराया जाना होगा।

(iii) नियोजक न केवल कारखानों के अदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेंगे बल्कि कारखानों के चारों ओर तथा ऐसी समस्त जगहों पर जहां पर महिला श्रमिक रात्रिकालीन पाली के दौरान आवश्यकतानुसार आती–जाती होंगी, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था मय बैकअप करेंगे।

(iv) रात्रि पाली के दौरान सुपरवाईजर या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य सुपरवाईजरी स्टॉफ में महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी।

(v) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्थानुसार महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल आदि हेतु क्रैच (शिशु सदन) की व्यवस्था सुनिश्चित् की जायेगी।

(vi) कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार कैंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित् की जायेगी।

(vii) कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिस पाली में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें वाहन रखा जायेगा, ताकि तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुँचाया जा सके।

4. नियोजक यह भी देखेंगे कि नियोजित महिला श्रमिकों के एक बैच में 10 से कम संख्या नियोजित न हो तथा रात्रि पाली में कारखानों में कुल नियोजित कर्मकारों में महिला श्रमिकों की संख्या 20 से कम न हो।

5. नियोजक प्रत्येक रात्रि पाली में कम से कम 01 महिला वार्डन की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगी।

6. कार्य के घंटे के संदर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियम के प्रावधान के अतिरिक्त, समान पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुपालन भी नियोजक द्वारा किया जायेगा।

7. महिला श्रमिक जो रात्रि पाली तथा नियमित पाली में काम करती हो, की एक मासिक बैठक उनके प्रतिनिधियों तथा प्रमुख नियोजक के साथ होगी, जिसे 08 सप्ताह में एक बार शिकायत दिवस के रूप में आयोजित किया जायेगा। नियोजक यह प्रयत्न करेंगे कि उक्त व्यवस्था का परिपालन हो, नियोजक द्वारा सभी उचित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की जायेगी।

8. किसी महिला कर्मकार से किसी भी कार्य दिवस में 09 घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

9. यदि कोई महिला कर्मकार सांय 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे की अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार करें, तो नियोजक उसे केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटायेगा कि उसने उक्त अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार कर दिया। दिन के समय में अर्थात् रात्रि पाली के अतिरिक्त महिला कार्मिकों/श्रमिकों हेतु कार्य के घंटे तथा कार्य संपादन की प्रक्रिया प्रचलित नियमानुसार यथावत् रहेगी।

10. नियोजक प्रत्येक 15 दिन में रात्रि पाली में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा ऐसी किसी आकस्मिक घटना का प्रतिवेदन तत्काल ही कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा।

11. नियोजक, महिला श्रमिकों को आंशिक/पूर्ण रूप से रात्रि पाली में नियोजित करने हेतु स्वतंत्र होगें, जिसमें उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन आवश्यक होगा।

2. उपर्युक्त शर्तो का दृढ़ता से अनुपालन कराये जाने हेतु श्रम विभाग के अधिकारी/कर्मचारी निरन्तर अनुश्रवण करेंगे तथा अनुश्रवण की सामयिक रिपोर्ट संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.138/VIII-1/23-91 Sharm/2008, dated July 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

*July 18, 2023*

**No.138/VIII-1/23-91 Sharm/2008**--Hereby superseding the Notification No. 1256/VIII/18-91 (Sharm)/2008, dated 28.11.2018, of Labour section from the date of publication of the notification in the gazette, the Governor is pleased to allow to women workers in all the factories/companies working in the state to work in the night shift from 7:00 PM to 6:00 AM, subject to the following conditions:-

1- It shall be the duty of the employer and other responsible persons to make such arrangements that no act of sexual harassment or incident shall happen in the workplace or institution. In event of such an incident, arrange for immediate legal action and all necessary steps for prosecution. Sexual harassment included forbidding sexual conduct whether direct or implied such as physical contact and proximity, demands or requests for sexual favors, sexually explicit comments, showing pornography and any forbidding physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual conduct.

2- **All employers and persons in charge of factory or workplace shall take the following steps to prevent sexual harassment:-**

(i) To prevent sexual harassment by the employer, rules or regulations related to conduct and discipline shall be made and necessary provisions shall be made in the existing applicable standing order in the factory along with provision of appropriate punishment against the misbehavior.

(ii) Proper work environment for work, recreation, health and safety shall be arranged in the factory, so as to ensure that no polluted environment is created for women at the work place and there is no sufficient ground for the belief of a women employee that there is any situation in her employment prejudicial to her.

(iii) The employer shall maintain a proper system for hearing complaints in the factory and shall ensure the disposal of complaints in such a system in a time-bound manner. A complaints committee shall be constituted which shall also include provision of special consultants and other support services and confidentiality shall be maintained.

(iv) In case of any criminal incident, the employer shall initiate appropriate action without any delay as per the provisions of the penal low and shall also ensure that sexual victims of harassment person and their witnesses should not be harassed and no discrimination should be done during the complaint of sexual harassment. If at the request of the affected worker, she needs shift transfer or transfer, they will make necessary arrangements, the employer shall take appropriate disciplinary action if such conduct comes under the purview of misconduct in employment.

(v) All complaints committees shall be headed by women and the number of women members in the committee shall not be less than half, in addition to this the committee shall include a representative of a non-government organization or a person having knowledge of sexual harassment cases.

(vi) Women employees shall be made aware of their officers and such guidelines shall be prominently notified.

(vii) Where the incident of sexual harassment is committed by a third party, proper co-operation and assistance shall be given to the employer or incharge in the factory for the prevention of incident.

**3- The following arrangements shall be made by the employer for the safety and working environment of the women:-**

(i) There should be adequate safety arrangements for women workers at entry and exit during night shift. It shall be mandatory for factory managers to install CCTV cameras inside the factory where women workers shall work, outside the factory and at every entrance.

(ii) The employer shall make arrangements for transport with security guards to bring the women labourers to the place of work in night shift and to take them back to their residence, under which the vehicle must have the facility of cameras, GPS and panic button (emergency alarm) and women's helpline number and other emergency number should be written on the vehicle, police verification of the authorized vehicle and its driver must be done.

(iii) The employer shall not only provide adequate lighting inside the factories but shall also provide adequate backup lighting around the factories and at all such places where women workers may move during the night shift as required.

(iv) Women personnel shall be appointed as supervisor or shift in-charge or foremen or other supervisory staff during night shift.

(v) According to the arrangement laid down under the Factories Act, 1948 arrangement for creche (children's house) shall be ensured for the care of small children of women etc.

(vi) Arrangement of canteen shall be ensured as per the Factories Act, 1948.

(vii) Proper medical facility shall be provide by the factory and necessary telephone facility shall be made available at the time of need and vehicle shall be kept in the shift in which more than 100 women workers are working, so that they can be taken to the hospital in case of emergency.

4- The employer shall also see that not less than 10 numbers are employed in a batch of employed women workers and the number of women workers is not less than 20 of the total employed workers in night shift factories.

5- The employer shall appoint at least 1 lady warden in every night shift, who shall do rounds during work and act as special welfare assistant.

6- In addition to the provisions of the Factories Act and other rules regarding working hours, equal remuneration payment and compliance of other labour laws shall also be done by the employer.

7- A monthly meeting of women workers who work in night shift and regular shift with their representatives and principle employer which shall be organized as a complaint day once in 8 weeks. The employer shall make efforts to ensure that the above arrangement is followed and the employer shall make arrangement to redress all appropriate complaints.

8- No women workers shall be expected to work for more than 9 hours in any working day and for more than 48 hours in any week.

9- If a female worker refuses to work during the period from 07:00 PM to 06:00 AM, the employer shall not remove her from employment merely because she refused to work during the said period. During the day time i.e. in addition to the night shift, the working hours for the women workers/labourers and the process of work execution shall remain the same as per the prevailing rules.

10- In every 15 days, the employer shall send a report to the factory inspector along with the details of the emoloyees employed in the night shift and shall immediately send the report of any such accident to the factory inspector and local police station.

11- Employers shall be free to employ women workers partially/fully in night shift, in which compliance of the above instructions shall be necessary.

2. In view of the strict compliance of the above conditions, the officers/employees of the Labour Department shall continuously monitor and timely reports of monitoring shall be compiled and made available to the government.

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 05–08–2023, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 श्रम / 363–24–08–2023–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।